



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092025-266191  
CG-DL-E-16092025-266191

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4066]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947

No. 4066]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2025

**का.आ. 4181(अ).**—केंद्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के पद को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, (हरियाणा सरकार का उपक्रम) सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लिए और स्तम्भ (4) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में धाराओं के उपबंधों के लिए सक्षम प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है।

अनुसूची

क्रम सं.	सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का पदनाम	व्यक्तियों का शासकीय पता	सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के संबंध में उपबंधों का उपबंध
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. मुख्य अभियंता या फ्यूल 2. अधीक्षण अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 3. कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकुला, हरियाणा	धारा 4 की उप- धारा (3)

	4. सहायक कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग		
2.	1. मुख्य अभियंता या फ्यूल 2. अधीक्षण अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 3. कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 4. सहायक कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा	धारा 6
3.	कोयला नियंत्रक	कोयला नियंत्रक का कार्यालय, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001	धारा 8 की उप- धारा (2)
4.	1. मुख्य अभियंता या फ्यूल 2. अधीक्षण अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 3. कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 4. सहायक कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा	धारा 12 धारा 13 की उप- धारा (6) धारा 14 की उप- धारा (1) धारा 14 की उप- धारा (4) धारा 16 धारा 17 धारा 19 धारा 20 की उप- धारा (3) धारा 21
5.	1. मुख्य अभियंता या फ्यूल 2. अधीक्षण अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 3. कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग 4. सहायक कार्यकारी अभियंता या फ्यूल या माइनिंग	हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, सी-7, ऊर्जा भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा	धारा 22

[फा. सं. 43015/12/2025—एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COAL

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2025.

**S.O. 4181 (E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby appoints the officers specified in column (2) of the Schedule below to be the competent authorities for the purposes of the said Act and for the provisions of sections in respect of the functions to be performed by the said competent authorities as specified in column (4) falling within the jurisdiction of Haryana Power Generation Corporation Limited (A Government of Haryana Undertaking), C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana, as specified in column (3) of the said Schedule.

**SCHEDULE**

Serial Number	Designation of the person appointed as competent authority	Official Address	Provision of sections in respect of the functions to be performed by the competent authorities
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. Chief Engineer or Fuel 2. Superintending Engineer or Fuel or Mining 3. Executive Engineer or Fuel or Mining 4. Assistant Executive Engineer or Fuel or Mining	Haryana Power Generation Corporation Limited, C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana	Sub-section (3) of section 4
2.	1. Chief Engineer or Fuel 2. Superintending Engineer or Fuel or Mining 3. Executive Engineer or Fuel /Mining 4. Assistant Executive Engineer or Fuel or Mining	Haryana Power Generation Corporation Limited, C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana	Section 6
3.	Coal Controller	Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata-700001	Sub-section (2) of section 8
4.	1. Chief Engineer or Fuel 2. Superintending Engineer or Fuel or Mining 3. Executive Engineer or Fuel or Mining 4. Assistant Executive Engineer or Fuel or Mining	Haryana Power Generation Corporation Limited, C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana	Section 12
			Sub-section (6) of section 13
			Sub-section (1) of section 14
			Sub-section (4) of section 14
			Section 16
			Section 17
			Section 19
			Sub-section (3) of Section 20
5	1. Chief Engineer or Fuel 2. Superintending Engineer or Fuel or Mining 3. Executive Engineer or Fuel or Mining 4. Assistant Executive Engineer or Fuel or Mining	Haryana Power Generation Corporation Limited, C-7, Urja Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana	Section 21
			Section 22

[F. No. 43015/12/2025-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.